कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0— कीर्तिनगर

UTTARAKHAND

Phone no./Fax no. 01370-260070 **mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com**

पत्रांक 164 /33 सी दिनांक 24/01/2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

विषय :— जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत आमणी गड़ाकोट मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 8.00 कि0मी0) ।

सन्दर्भ :— ऑन लाईन आपत्ति दिनांक 28.11.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 28 नवम्बर 2017 को ऑन लाईन कमियों से इस खण्ड को प्राप्त हुई है जिसका निराकरण निम्नवत किया जा रहा है।

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

Sl. No.	User agency againt E.D.S.	E.D.S. Reply
1	2	3
1	The village level committee meeting proceedings for village 'Garakot' taken place on dt. 02-04-2017 after issuing certificate of DC on dt 18-10-2016 Which is procedurally incorrect. The revised Sub Divisional Committee District Level Committee meeting and DC certificate may produced or the State Government review and ensure that the annexures associated with the FRA certificate are in proper sequence.	एफ0आर0ए0 ड़ीटेल में विलेज लेवल कमेटी एवं जिलाधिकारी समिति की दिनांक को सही कर अपलोड़ कर दिया गया है।
2	The density showing in online Part-II para-44(I) is 0-5 and the NPVcalculation is carried out for dense forest which appears to be incorrect as 28 trees per hectare does not account for 0-5 density. The State Government may review the density and NPV calculation in view of the tree felling involved in this case.	प्रभागीय वनाधिकारी से सम्बन्धित है।
3	In place of uploaded Soi toposheet map for area proposed for CA at para 13(III) of Para-II the map for the area propeosed for diversion has been uploaded state Government may replace the same with the soi toposheet map for the area proposed for CA.	प्रभागीय वनाधिकारी से सम्बन्धित है।
4	Authority letter in favour of person making online application is not fount uploaded at para A-3 (XVII) part-1.	एथोरिटी लैटर तथा एप्लीकेन्ट ड़ीटेल सही कर दी गई है।
5	Details of employment likely to be generated given at para-E para-1 online does not appear to be correct.	इम्प्लोयमेन्ट ड़ीटेल सही कर दी गई है।
6	In the hard copy of the proposal 0-085 hac. Land proposed for muck dumping in civil soyam land 9(3) M which in general attract provision of FRA. 1980 at pg 124 and in details uploaded at sr no 3 as in additional documents in Part-I which is not reflecting in component wise breakup however. It is mentioned that the muck dumping proposed over Private land is another Document in the proposal which appears to be contradictory. The State Government may clarify the legal status of area proposed for muck dumping and mentioned it in component wise breakup at para B2.4 part-I	मलवा निस्तारण में ली जाने वाली भूमि मलवा निस्तारण के पश्चात भी काश्तकारों के स्वामित्व की ही रहती है जिस कारण कम्पोनेन्ट वाईज ब्रेक अप में मलवा निस्तारण की भूमि को नहीं जोड़ा गया है।
7	Original/attested copy of para of part –IV &V may also be submitted.	नोड़ल अधिकारी तथा शासन स्तर से सम्बन्धित है।

संलग्न — उपरोक्तानुसार।

24/01/18

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग

प्रारुप–1

Sri. Padmendra Singh Bartwal son of **Sri B.S. Bartwal** is hereby authorized to upload the Land Transfer Proposal regarding Construction of **Aamni Garakot Motor Road** of the T.D. P.W.D. Srinagar H.Q. Kirtinagar on the Government of India portal **www.forestclearance.nic.in** on behalf of the **Er. J.S. Chauhan** Executive Engineer Temporary Division P.W.D. Kirtinagar

Signature

17.1.18

(Er. J.S. Chauhan)
Executive Engineer
Ty. Division P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri [illegible] I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in ***Devprayag*** Block area measuring 1.629 Hectares for the construction of ***Aamani to Gadakot Motor Road*** in Tehsil ***Devprayag*** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommend by the Sub Division Level Committee of ***Kirtinagar*** Sub Division where discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

(इन्दुधर बौड़ाई)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

Place:- Tehri
Date-

District Collector cum Chairman
District Tehri Garhwal
New Tehri

59

Annexure-I

प्रारूप सं0 30

FORM – I

(For linear Projects)

Government of **Uttarakhand**

Office of the District Collector **Tehri Garhwal**

No. /　　　　　　　　　　　　Dated ..18.10.2016..

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having intiated and completed the process of settelement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEFs letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.629 hact.** of forest land proposed to be deverted in favour of **Public Works Department, Kirtiangar** for **Construction of Aamni to Garakot Motor Road** in **Tehri Garhwal** District falls within jurisdiction of .... Villages in **Devprayag** tehsils.

It is further certified that:

a) the complete process for indetification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire .... **Hac.** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure **23** to annexure 23.2
b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.
c) the proposal does not invole recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Signature

(इन्दुधर बौड़ाई)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

(Distt. Colector)

It is further certified that- Minutes of meeting of ***Aamani to Gadakot*** Motor Road (8.00 Km) regarding FRA is as following

Sl. No		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.629 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s). Gram Sabha(s) Sub-Division Level Committee is enclosed as annexure ----- to ----- annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Division of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road as attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य
टिहरी गढ़वाल
सदस्य
जिला पंचायत
39 आमणी – पलेठी बनगा...
(विकास खण्ड – देवप्रया...
टिहरी गढ़वाल, उत्त...

जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल
जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, टिहरी गढ़वाल

(इन्दुधर बौड़ाई)
जिला अधिकारी
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

57

<u>प्रारूप सं0 – 1.90</u>

भू–अर्जन प्रमाण पत्र
ग्राम पंचायत का नाम –
तहसील देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम :– **जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत आमणी से गड़ाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 8.00 कि0मी0)।**

स्वीकृति सन्दर्भ :– 549/III(2)/14–49(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 29.01.2014

विधान सभा देवप्रयाग के विकास खण्ड़ कीर्तिनगर के अन्तर्गत **आगणी से गड़ाकोट तक** मोटर मार्ग **8.00** कि0मी0 हेतु उपरोक्त शासनादेश द्वारा प्रशासकि एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसके सापेक्ष गांव वालों की सहमति पर ही **8.00** कि0मी0 लम्बाई हेतु प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

प्रखण्ड़ टिहरी गढ़वाल परिक्षेत्र के **आमणी से गड़ाकोट तक** मोटर मार्ग के नव निर्माण के लिये **0.675** है0 आरक्षित वन भूमि, **0.954** है0 सिविल वन भूमि, **0.00** है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **1.629** है0 का अस्थाई खण्ड़ लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तथा बाकी नाप भूमि **5.571** है0 ग्राम पंचायत **आमणी, गड़ाकोट** के काश्तकारों से देना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित नाप भूमि को सम्बन्धित काश्तकारों से नियमानुसार सहमति से अथवा अर्जित कर प्रयोकता एजेन्सी को उपलब्ध करा दी जायेगी एवं प्रश्नगत मोटर मार्ग निर्माण बाधित नहीं होगा।

सहायक अभियन्ता
अ0 ख0 लो0 नि0 वि0 श्रीनगर
उ0 कीर्तिनगर

अ0अ0

Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

रा0उ0नि0
पटवारी मदद
तहसील देवप्रयाग
जिला टिहरी गढ़वाल

तहसीलदार
देवप्रयाग, टि0ग0

61

प्रपत्र–30.2

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत आमणी से गड़ाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) लम्बाई 3.0 किमी

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर

उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत आमणी से गड़ाकोट तक मोटर मार्ग (प्रथम चरण) (0.675 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.954 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, — हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.629 हे0 वन भूमि) का लो0 नि0 वि0 कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देवप्रयाग) की दिनांक 12/8/016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री के0 के0 मिश्र, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्री के0 के0 मिश्र (कृष्ण कुमार मिश्र)	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	श्री डी0 पी0 बलोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3–	श्री विनोद कुमार अधिकारी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4–	श्रीमति कंचन चौहान	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि आमणी से गड़ाकोट तक मोटर मार्ग निर्माण परियोजना हेतु .... हे0 वन भूमि लो0नि0वि0 कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

क्रमशः – 2 – पर

संबन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, मुनिकीरेती नरेन्द्रनगर.... द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कीर्तिनगर...... परिक्षेत्र के अन्तर्गत ....आमणी से गडाकोट तक मोटर मार्ग (प्रथम चरण)........ परियोजना के निर्माण हेतु .... हे0 वन भूमि ....लोकनिर्माण विभाग कीर्तिनगर.... प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

(हस्ताक्षर) 12/08/16

उप जिलाधिकारी
कीर्तिनगर, टि० ग०

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–....देवप्रयाग....
जनपद ....टिहरी गढ़वाल....

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ...टिहरी गढ़वाल.... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(हस्ताक्षर) 12/08/16

उप जिलाधिकारी
कीर्तिनगर, टि० ग०

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–....देवप्रयाग....
जनपद....टिहरी गढ़वाल....

63

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत क्वाठली से गड़ाकोट तक मोटर मार्ग निर्माण (प्रथम चरण) लम्बाई 8.00 कि0मी0।

दिनांक 12.8.2016 को उप खण्ड समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
जनपद टिहरी गढ़वाल

1	~~डी.के.के. मिश्र~~ कृष्ण कुमार मिश्र	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	(हस्ताक्षर) उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर, टि० ग०
2	डी.पी. बलोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	
3	विनोद कुमार उनियाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	(हस्ताक्षर)
4	श्रीमती कंचन चौहान	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य	कंचन चौहान सदस्य क्षेत्र पंचायत 20, बिड़ाकोट क्षेत्र समिति देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड

(हस्ताक्षर)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देवप्रयाग)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

64

प्रपत्र—~~23~~ 30.3

परियोजना का नाम :— जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत आमणी से गडाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) लम्बाई 8.00 कि०मी०।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ....आमणी............
तहसील ....देवप्रयाग...., जिला ....टिहरी गढ़वाल....

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद ....टिहरी गढ़वाल.... के अन्तर्गत ....आमणी से गडाकोट तक मोटर मार्ग.... परियोजना के निर्माण हेतु (..0.675.. हे0 आरक्षित वन भूमि, ..0.954.. हे0 सिविल सोयम भूमि, ..—.. हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल ..1.629.. हे0 वन भूमि का ....लो० नि० वि० कीर्तिनगर.... विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....आमणी.... द्वारा दिनांक ..15-06-2016.. को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। • उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ....आमणी.... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ....लो० नि० वि० कीर्तिनगर.... प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/—
ग्राम सचिव

प्रधान ग्राम पंचायत आमणी
ह0 ....
दिनांक 15-06-16
विकासखण्ड देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल

ह0/—
ग्राम प्रधान

नोट :— • यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–~~20~~ 30.4

दिनांक 15-06-2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत आमणी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	शशि प्रकाश भट्ट	[illegible]
	द्वारिका प्रसाद	[illegible]
	चिन्तामणी	[illegible]
	रामस्वरूप भट्ट	[illegible]
	कौसन लाल	[illegible]
	जगदम्बा प्रसाद भट्ट	[illegible]
	शिवानन्द भट्ट	[illegible]
	दिवाकर प्रसाद भट्ट	[illegible]
	लीला देवी	लीला देवी
	हरिशचन्द्र	[illegible]
	सुन्दर लाल	[illegible]
	वीरेन्द्र भट्ट	[illegible]
	अरुण भट्ट	[illegible]
	जितेन्द्र प्रसाद भट्ट	[illegible]
	शिवप्रसाद भट्ट	[illegible]
	हरीश चन्द्र	हरीश चन्द्र
	शकुन्तला देवी	शकुन्तला देवी
	बुद्धिवल्लभ	[illegible]
	दुर्गा प्रसाद भट्ट	[illegible]
	राजेन्द्र प्रसाद भट्ट	[illegible]
	चन्द्रमोहन	[illegible]
	रेवती देवी	रेवती देवी
	विजय लक्ष्मी	विजय लक्ष्मी
	शान्ति प्रसाद भट्ट	[illegible]

ह0/–

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत आमणी
ह0 [illegible]
दिनांक 15-06-2016
वि0ख0 देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल

प्रपत्र– 23

परियोजना का नाम :– जनपद टिहरी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत आमणी से गड़ाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) लम्बाई 8.00 कि0मी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत/ग्राम का नाम – **गड़ाकोट**

तहसील **देवप्रयाग** जिला **टिहरी गढ़वाल**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **टिहरी गढ़वाल** के अन्तर्गत विकास खण्ड देवप्रयाग में **आमणी से गड़ाकोट तक मोटर मार्ग** निर्माण की परियोजना के निर्माण हेतु (0.675 हे0 आरक्षित **वन भूमि, 0.954 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात** कुल 1.629 हे0 वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **गड़ाकोट** द्वारा दिनांक **15.06.2016** को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **गड़ाकोट** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

Dhaneyi

पंचायत विकास अधिकारी
पंचायत गड़ाकोट
विकास खण्ड देवप्रयाग
जनपद टि0ग0

ग्राम प्रधान

रामदास

प्रपत्र–23.1

दिनांक 15.06.2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत / ग्राम का नाम – **गड़ाकोट**

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	महीपाल सिंह	महीपाल सिंह
	चन्दन दास	चन्दन दास
	शिव सिंह	शिव सिंह
	अनिल असवाल	अनिल असवाल
	सतपाल सिंह	[illegible]
	हुकम सिंह	हुकम सिंह
	कमाल सिंह	[illegible]
	राजेन्द्र सिंह	R S Aswal
	जगदीश सिंह	जगदीश सिंह
	ज्ञान सिंह	[illegible]
	प्रताप सिंह	प्रताप सिंह
	सूरत सिंह	[illegible]
	कृष्ण सिंह	[illegible]
	गोविन्द दास	गोविन्द दास
	विक्रम सिंह	[illegible]

Dhaneji

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ....
विकास खण्ड ....
जनपद ....

ह0 / –
ग्राम प्रधान

रामदास

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राजस्व ग्राम तिमली ग्राम-पंचायत आमणी के अन्तर्गत ही आता है। तथा तिमली गाँव द्वारा पहले ही अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत आमणी के द्वारा दिया गया है जो कि आमणी-गड़ाखोर मोटर मार्ग से सम्बन्धित है।

प्रधान ग्राम पंचायत आमणी
ह0 ......
दिनांक ......
वि0ख0 देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल